

Order Sheet [Contd]

II-156
C.J.

Case No. of 20

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
11 ⁰² / 17	<p>आवेदक अशोक सिंह सहित श्री एसएस नाम्बर आवेदक उपस्थित।</p> <p>प्रकरण प्रतिवेदन की प्राप्ति हेतु नियत है।</p> <p>नायब नाजिर गौडर से प्रतिवेदन प्राप्त मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है।</p> <p>बीमा कम्पनी अधिवक्ता श्री कैपी राठौर उपस्थित। अवार्ड राशि आवेदनपत्र पर उभयपक्ष को सुना गया।</p> <p>मूल अभिलेख का अवलोकन किया अवार्ड राशि के जमा होने के संबंध में नाजिर रिपोर्ट का अवलोकन किया।</p> <p>आवेदनपत्र पर विचार किया गया प्रकरण में आवेदक का क्षतिपूर्ति हेतु छाति. 12-11-16 के पालन में बीमा कम्पनी द्वारा 800000/- (छै लाख) रुपये जरिये बैंक जमा किया गया जो इन न्यायालय के बैंक जमा पंजी कं-21/16 दिनांक 17-12-16 को 800000/- (छै लाख) रुपये से नजरत अनुभाग गौडर सेना गया जो नजरत अनुभाग के पंजीयन क्रमांक 20/16 दिनांक 20-12-16 पर जमा होकर शेष है।</p> <p>मूल अभिलेख के अवलोकन से दार्शित होता है कि उक्त प्रकरण मासिक नेशनल लोक अदालत में इसी न्यायालय में निराकृत प्रकरण दिनांक 12-11-16 को हुआ। आदेश दिनांक 12-11-16 का अवलोकन किया जिसमें रजिनामा के आधार पर अवार्ड पारित करते हुए राशि 800000/- (छै लाख) रुपये आवेदकगण को बीमा कम्पनी द्वारा दो माह के भीतर अदा किये जाने का आदेश दिया गया है। जिसमें से आवेदक 01 लगायत 03 जो कि मृतिका के पति व पुत्र है। उनके प्रत्येक के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रुपये की राशि 03 माह की सावधी जमा खाते (एफ.डी.आर.) के माध्यम से प्रदान की जाये तथा 25000 / 25000 (पच्चीस-पच्चीस हजार) रुपये उन्हें नगर रूप से बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किए जाए, तथा आवेदक कं- 4 व 5 को वृद्धवस्था को देखते हुए आवेदिका कं-4 को 50,000/- (पचास हजार) रुपये व आवेदक कं-5 को शेष 25000/- (पच्चीस हजार) रुपये राष्ट्रीयकृत बैंक खाते के माध्यम से नगर भुगतान किये जाने का आदेश है।</p> <p>चूंकि आवेदक अशोक द्वारा अपनी जमा सुहा राशि के संबंध में पृथक से अवार्ड राशि प्राप्त किये जाने आवेदनपत्र पेश किया है जो मृतिका का पुत्र है। अतः आदेश के पालन में आवेदक अशोक सिंह पुत्र बापू</p>	<p>1,75,000/-</p> <p>नं 213-15/16</p> <p>अशोक सिंह</p> <p>अशोक सिंह</p> <p>अशोक सिंह</p>

Date of
Order or
Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

मिह निवासी गोहद चौराहा तहसील गोहद जिला भिण्ड म.प्र. 1,50,000/-
(एक लाख पचास हजार) रुपये की 03 वर्ष की मावधी जमा खाते (एफडी
आर) के माध्यम से प्रदान की जाये तथा 25000/- (पच्चीस हजार) रुपये
सम्पूक्त बैंक खाते के माध्यम से नगर भुगतान किये जाने का आदेश है।
आदेशानुसार पक्षकार के उपस्थित होने पर रिफण्ड वाचर तैयार कर नायब
जाजिर गोहद की ओर कार्यवाही हेतु भेजा जाये।

लोक अमलत के अफेंड तैयार हो।

मूल अभिलेख प्रक-19/15 कलम अशोक मिह तम्बर
बनाम राजू आदि खाति 12-11-18 में आदेश की प्रति संलग्न कर
अभिलेखागार भिण्ड को वापिस भेजा जाये।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार भिण्ड
भेजा जाये।

पी. सी. आर

सदस्य

वि. मोटर दुर्वटना दावा प्राधिकरण
गोहद जिला-भिण्ड (म.प्र.)

(कोसी 3412245)
सदस्य

कोसी 3412245-15
गोहद जिला-भिण्ड

(कोसी 3412245)
सदस्य

कोसी 3412245-15
गोहद जिला-भिण्ड